

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०लं०-४/बिं०स्था०(विविध)-०४/१८ (बिड१)

आदेश

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में पदस्थापित कर्मियों के बैतजादि की निकासी हेतु श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना के स्थान पर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को बिहार कोषांग संहिता-२०११ के नियम-४ के तहत विपत्र कोड-२३-२८५-१००१०४०००१ के अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

(२). पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

(३) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

₹०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०लं०-४/बिं०स्था०(विविध)-०४/१८ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०लं०-४/बिं०स्था०(विविध)-०४/१८ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सचिवालय कोषाणार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०लं०-४/बिं०स्था०(विविध)-०४/१८ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोल्लत सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०लं०-४/बिं०स्था०(विविध)-०४/१८ १३९५ पटना, दिनांक ०४.०४.१९

प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रशास्त्रा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

१३९५